30-11-2015

पत्रावली पेश हुयी वकुलाय उपस्थित उभय पक्षो की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे निवेदन किया गया है कि मृतक कन्हैयालाल उर्फ काना के दो पत्नियां धूली व गोपाली है। धूली के एक पुत्र मोतीलाल प्रार्थी नं 1 व गोपाली के 5 पुत्र प्रतिपक्षीगण 1 ता 5 है। प्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि वाके ग्राम मुबारकनगर व गोविन्दपुरा मे 1/2 हिस्से पर से प्रतिपक्षीगण को पाबन्द करवाना चाहते है। नकल जमाबन्दी

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोंक)

धूली बोहरा बनाम बाबूलाल बगैरा

किस्म मुकद्दमा....प्रार्थना पत्र....नम्बर 58 सन्..20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	राजस्व 2060 व 2061 बाके ग्राम मुबारकनगर तहसील उनियारा खाता संख्या 45 में वर्णित आराजीयात कुल किता 9 कुल रकबा 4.31 है व खाता संख्या 46 में वर्णित आराजीयात कुल किता 4 कुल रकबा मोतीलाल, बाबूलाल रामप्रसाद घनश्याम गिरराज मदनलाल पि. कान्हा जाति माली साकिन के नाम दर्ज रेकार्ड है। जमाबन्दी ग्राम गोविन्दपुरा खाता संख्या 61 में वर्णित आराजीयात कुल किता 2 कुल रकबा 1.28 हेक्टर मोतीलाल बाबूलाल रामप्रसाद घनश्याम गिरराज मदनलाल पि. कन्हैयालाल माली मुबारकनगर के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थिया न. 1 ने मूल वाद को अपनी हद तक ड्रोप किया है। इस प्रकार अब प्रार्थी न. 2 तनाजा वादग्रस्त आराजीयात में से प्रतिवादीगण को 1/2 हिस्से को भूमि पर से रहन बैनामा करने से रोकना चाहता है। राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से तनाजा वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी न. 2 का 1/2 हिस्सा न होकर 1/6 हिस्सा है। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी न. 2 के पक्ष में नहीं है। यदि प्रतिपक्षीगण को तामील वाद पाबन्द कर दिया गया तो उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी। उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नहीं समझता है। प्रार्थी का प्रा. पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर नत्थी हो व कम हो तथा शामिल मूल वाद हो।	
	(initials)	

Scanned by CamScanner